

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री खुशाल सिंह मनौला	चीफ फार्मासिस्ट	जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ	सामु० स्वा० केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20668

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ/उधमसिंहनगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ/उधमसिंहनगर।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती चम्पा गोस्वामी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र, उपराड़ी, देघाट, अल्मोडा	प्रा० स्वा० केन्द्र बरा, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/20670

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/ऊधम सिंह नगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/ऊधम सिंह नगर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री षष्ठी बल्लभ पाठक	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र, चिडिंगा तल्ला, चमोली	सामु० स्वा० केन्द्र नानकमत्ता, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20672

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/उधमसिंहनगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उधमसिंहनगर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- ०९ जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती परीक्षा राणा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र मौनपोखरी, चम्पावत	प्रा० स्वा० केन्द्र साधुनगर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20674

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(ज०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक- ०९ जून, २०२३

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक:-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री जगदीप राणा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र भगानामेहरा, चम्पावत	सामु० स्वा० केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- १) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- ३) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ४) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/२०६२६

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
२. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
३. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधम सिंह नगर।
४. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
५. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जितेन्द्र कन्नौजिया	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र, सैंजी, गैरसैण, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/20678

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संदीप धीमान	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र बडागांव, जोशीमठ, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20680

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार ।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- ०९ जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती निशारा खान	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र पलेटा, बडालू पिथौरागढ़	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/20682

तददिनांक/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक- ०९ जून, २०२३

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक:-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्रीमती उमा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र, गंगाऊँ, थलीसैण, पौड़ी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- १) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- ३) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ४) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/ २०६४५

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
२. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
३. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
४. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
५. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक- ०९ जून, २०२३

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक:-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री इन्दर कुमार आर्य, फार्मा०	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र धारखोला, लमगाड़ा, अल्मोड़ा	क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल	निजी अनुरोध

- १) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- ३) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ४) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/२०६८६

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
२. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
३. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
४. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
५. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 29 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरि प्रसाद	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र जेटाई, बागेश्वर	प्रा० स्वा० केन्द्र मोहनपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20688

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जीतेन्द्र प्रसाद भट्ट	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र बनाली, चम्बा, टिहरी गढवाल	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20690

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जि०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक:- ०९ जून, २०२३

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री अनिल कुमार मिश्रा	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र देवाल, चमोली	सामु० स्वा० केन्द्र खानपुर, हरिद्वार	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/२०६९२

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक:- २९ जून, २०२३

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक:-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री सोहन लाल भद्री	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा० केन्द्र, आच्छरीखुण्ट, टिहरी गढवाल	प्रा० स्वा० के० मगरौ, टिहरी गढवाल	जनहित

- १) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- २) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- ३) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- ४) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ५) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/ २०६९५

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
२. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
३. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
४. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
५. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरदेव व्यास	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा० केन्द्र, कोडारना, टिहरी गढवाल।	उप जिला चिकि० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/20696

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक:- ०९ जून, २०२३

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री गोपाल दत्त जोशी	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र पनुवानौला, अल्मोडा	बी० डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/ २०६१४

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी० डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/

दिनांक:- ०९ जून, २०२३

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६ फरवरी, २०१८ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३, दिनांक:-१० मई, २०२३ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-२०२३-२४ हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-०४ से कॉलम-०५ में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१.	श्री धीरेन्द्र खत्री	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा० केन्द्र, सतेराखाल, रूद्रप्रयाग	उप जिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, चमोली	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

तद्दिनांक।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/२६/२०२३/ २०२००

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मुकुल कुमार राय	फार्मासिस्ट	उप जिला चिकि० लोहाघाट, चम्पावत	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/20202

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/उधमसिंहनगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट, चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ उधमसिंहनगर।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती किरन जोशी	फार्मासिस्ट	उप जिला चिकि० लोहाघाट, चम्पावत	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20704

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौरु मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/उधमसिंहनगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट, चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/उधमसिंहनगर।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अजय चौहान.	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र टाईप-ए श्री बद्रीनाथ, चमोली	प्रा० स्वा० केन्द्र कालसी, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20206

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सुश्री कुसुम रावत	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र पिलखी, हूलानाखाल, टिहरी गढवाल	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20708

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल/देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सोना मेहरा	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र कफनोल, उत्तरकाशी	कार्यालय महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून महानिदेशालय की डिस्पेसरी हेतु एवं स्टोर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयअवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20710

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक (चि०स्वा०) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. संयुक्त निदेशक (भण्डार) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/साईबर ट्रैजरी-23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भैरव गिरि गोस्वामी	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र, कन्धार, बागेश्वर	प्रा० स्वा० केन्द्र तल्ला रामगढ, नैनीताल	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20212

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती शीबा अनवर	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र, सानिउडियार, बागेश्वर	प्रा० स्वा० केन्द्र मैनाझुण्डी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20714

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक- 09 जून, 2023

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रश्मि चमोली	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०केन्द्र, बावई, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	प्रा० स्वा० केन्द्र कैम्पटी जौनपुर, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20716

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- ०७ जून, 2023

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जी०पी० मिश्रा	फार्मासिस्ट	महिला चिकित्सालय, सितारगंज, उधम सिंह नगर	प्रा० स्वा० केन्द्र सिमलखा, नैनीताल	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20718

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/नैनीताल।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरीश चन्द्र रतूड़ी	फार्मासिस्ट	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी	प्रा० स्वा० केन्द्र, बल्ली, पौड़ी	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20720

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

दिनांक:- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चामू सिंह	फार्मासिस्ट	बेस चिकित्सालय, अल्मोडा	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 2072

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौरु मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा/जिला चिकि० बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/ 20723

दिनांक:- 09 जून, 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक:-10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विनोद कुमार खुगशाल	फार्मासिस्ट	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी	प्रा० स्वा० केन्द्र पाटीसैण, पौड़ी	जनहित

- 1) सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2) उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपनने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5) उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

Bal
(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/26/2023/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)